खण्ड वन अधिकारी एवं अन्य

बनाम

एम. रामलिंगा रेड्डी

10 अप्रैल, 2007

[एस.बी.सिन्हा और मार्कंडे काट्जू, न्यायमुर्तिगण]

सेवा विधिः-

शीर्ष टिप्पणी (हैड नोट)-

नियुक्तिः- वनपालों का पदः- धोखाधड़ी द्वारा रोजगार विनिमय द्वारा सूची में उम्मीदवार का नाम, सूचीबद्ध चुना गया परन्तु नियुक्त नहीं किया गया। रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश की अनुपालना में उत्तरदाता का नियुक्ति पत्र जारी किया गया- इसके बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया गयाः- उत्तरदाता को कारण बताओं नोटिस जारी की गई की, कि नियुक्ति क्यों नहीं रद्द की जाए-नोटिस का जवाब दिए बिना उम्मीदवार उत्तरदाता द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय द्वारा सेवा की निरन्तरता का निर्देश दिया गया- कारण बताओं नोटिस के खिलाफ रिट याचिका की पोषणीयताः-अभिनिर्धारण - उस स्तर पर कोई भी रिट याचिका पोषणीय नही हैः- उम्मीदवार उत्तरदाता को कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि उसकी उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिएः-उम्मीदवार उत्तरदाता की नियुक्ति उसके पक्ष में किए गए चयन के अनुसरण में नहीं थी, बल्कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में थी, जो रिट याचिका के खारिज करने पर स्वतं समाप्त हो गई थीः- इस प्रकार, चयनित उम्मीदवार उत्तरदाता को उसके बाद सेवा में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है-रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226.

संक्षिप्त तथ्यः-

वनपालो (फॉरेस्टर्स) के पद के लिए, रोजगाार विनिमय (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) ने उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित किए। 1970 तक पंजीकृत उम्मीदवारों पर विचार किया गया। 1979 में चयनित उम्मीदवारों की सूची नियोक्ता को भेजी गई थी। उत्तरदाता 1976 में रोजगार विनिमय में पंजीकृत हुआ था। यह आरोप लगाया जाता है कि उत्तरदाता ने एक्सचेंज में सहायक के साथ मिली भगत करके 1970 तक पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया और उसका चयन किया गया। अपीलार्थी को इसके बारे में पता चला और नियुक्ति का प्रस्ताव जारी नहीं किया गया। उत्तरदाता ने एक आवेदन दायर किया। न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने जांच करने का निर्देश दिया। विचाराधीनता के दौरान, उत्तरदाता ने रिट याचिका दायर की। नियुक्ति के लिए उत्तरदाता के मामले पर विचार करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उत्तरदाता को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि यह विचारणीय नहीं थी। इसके बाद, रोजगार अधिकारी ने उत्तरदाता को कदाचार का दोषी ठहराते हुए अपीलार्थी को एक रिपोर्ट भेजी। उत्तरदाता ने रोजगार अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाला मूल आवेदन दाखिल किया और चयन की तारीख से वनपाल के रूप में उसे सभी सेवा लाभों की अनुमति देने का निर्देश चाहा। विचाराधीनता के दौरान, अपीलार्थी ने उत्तरदाता को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया कि उसका नाम पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) आवेदन को खारिज कर दिया और उत्तदाता को कारण बताओं नोटिस पर स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया। पीड़ित उत्तदाता ने रिट याचिका दायर की जिसकी अनुमति दी गई और उत्तदाता को सेवा में बने रहने का निर्देश दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

वर्तमान अपीलः-

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारण:- 1.1. कि रोजगार विनिमय (एक्सचेंज) को उत्तरदाता के प्रायोजन को वापस लेने की मांग की जानी चाहिए थी क्योंकि उत्तरदाता का प्रायोजन एक्सचेंज में एक कनिष्ठ सहायक द्वारा 1979 में उत्तरदाता के साथ मिलीभगत कर किया गया था जबकि वह इसलिए हकदार नहीं था। उसके नाम को कानूनी रूप से प्रायोजित होने के अभाव में, उत्तरदाता की उम्मीदवारी पर, वनपाल के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा दृष्टिकोण रोजगार अधिकारी द्वारा लिया गया है। उसने इस बाबत एक एक रिपोर्ट भेजी। अपीलार्थी नं. 1 ने सहायक रिपोर्ट को प्रभावी बनाने का इरादा किया। उक्त उद्देश्य के लिए, कारण बताओं नोटिस जारी किया था। [पैरा संख्या 7 और 8] [1072-जी-एच;1073-ए-बी]

1.2. एक चयनित उम्मीदवार को स्वतं नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उत्तरदाता केवल इसलिए सेवा में बने रहने के अपने अधिकार का दावा करता है क्योंकि उसे चुना गया था। [पैरा 10] [1073-सी]

1.3. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए, अपने समक्ष सम्बंधित एवं सही प्रश्न खड़ा नही किया। कारण बताओ नोटिस, के अनुसरण में उत्तरदाता को यह कारण बताने की आवश्यकता थी कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय की इस प्रभाव की टिप्पणी कि उत्तरदाता को दिनांक 23-04-1982 को न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया गया है। अतः किसी भी पुनरीक्षण वृद्धि के बिना 1978 में लागू वेतनमान को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पूरी तरह से अप्रासंगिक थी। [पैरा 11] [1073-डी-ई]

1.4. यह ऐसा मामला नहीं है जहां नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बगैर जारी किया गया था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां उक्त नोटिस अन्यथा अवैध थी।

यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें बिना सोचे समझे आदेश पारित किया गया हो। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने अपना मन बना लिया था और नोटिस केवल औपचारिकता के लिए जारी किया गया हो। न्यायाधिकरण ने उत्तरदाता को अपना कारण दिखाने का निर्देश दिया। आम तौर पर, कोई इस स्तर पर रिट याचिका बनाए रखने योग्य नही होगी। [पैरा 9 और 12] [1073-सी, एफ]

मैसर्स सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 13 स्केल 297, संदर्भित है।

1.5. उत्तरदाता को उसके द्वारा किए गए चयन के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति का कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था। वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिरम आदेश की अनुपालना में नियुक्त किया गया था। आम तौर पर उच्च न्यायालय को ऐसा नही करना चाहिए। फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद अंतरिम आदेश भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उत्तरदाता को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने के पश्चात सेवा में बने रहने का कानूनी अधिकार नही है। इसके अलावा यह भी संदेहपूर्ण है कि क्या जिला रोजगार अधिकारी की रिपोर्ट पर मूल आवेदन द्वारा दाखिल कर पश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। [पैरा 17 और 19] [1075-जी;1076-एफ-जी]

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड का प्रबंधन, मद्रास बनाम कर्मचारीगण एवं अन्य, ए.आई.आर. (1963) एस. सी. 569; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा और अन्य , ए.आई.आर. (1987) एससी 943: [1987] 2 एस.सी.सी. 179; विशेष निदेशक एवं अन्य बनाम मोहम्मद. गुलाम गौस और अन्य, [2004] 3 एस.सी.सी. 440; भारत संघ एवं अन्य बनाम कुनिसेट्टी सत्यनारायण, [2006] 12 स्केल 262; मेट्रो मरीन और अन्य वी. बोनस वॉच कं. (पी) लिमिटेड एवं अन्य, [2004] 7

एससीसी 478 और श्रीकृष्णा एवं अन्य बनाम अनिरुद्ध सिंह एवं अन्य, [2005] 12 एससीसी 389, संदर्भित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः- सिविल अपील संख्या 1872/2007

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के रिट याचिका संख्या 14941/1999 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.04.2005 के विरूद्ध

एच.एस. गुरुराजा, मनोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह, राहुल शुक्ला और टी.वी. जॉर्ज, अपीलार्थियों के लिए।

नागेश्वर राव, वी.श्रीधर रेड्डी, आर.वी.के. अय्यर, ए.के. पाणिग्रही और आर.वी. कामेश्वरन, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, न्यायमुर्ति द्वारा प्रदत्त किया गया:

1. अनुमति दी गई।

2. जिला रोजगार विनिमय, नेल्लोर द्वारा 22.11.1978 को वनपालों की पाँच रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था। जिसके अनुसार नाम प्रायोजित किए गए थे और 06.09.1969 तक पंजीकृत 49 उम्मीदवारों को पूर्व-प्रस्तुतीकरण साक्षात्कार के लिए विचार किया गया था। हालांकि, जिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नेल्लोर को 22.12.1978 को उक्त पदो के लिए कुछ और लोगों के नाम प्रायोजित करने के लिए निवेदन किया गया था। 11.02.1970 तक पंजीकृत 60 उम्मीदवार शुरू में विचार किया गया और प्रस्तुत साक्षात्कार के बाद 18 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार कर नियोक्ता को 09.01.1979 पर भेजा गया था। यद्यपि उत्तरदाता को भी शामिल किया गया था, यद्यपि उसने खुद को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वर्ष 1976 में पंजीकत करवया था जिसका पंजीकरण संख्या 2412/76 था, हालांकि, उनके नाम के सामने पंजीकृत संख्या 6899/69 बताया गया था। कथित तौर पर उसने जिला रोजगार एक्सचेंज, नेल्लोर के

तत्कालीन कनिष्ठ सहायक श्री हरनाधा रेड्डी के साथ मिलीभगत कर उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया था।

3. उत्तरदाता को चयनित कर योग्यता सूची में क्रमांक संख्या 3 पर रखा गया। दिनांक 24.04.1979 को अपीलान्ट संख्या 1 को, उत्तरदाता द्वारा उपरोक्त कनिष्ठ सहायक जिला रोजगार एक्सचेंज के साथ मिलीभगत कर की गई धोखाधडी के बारे में सूचित किया गया। जिस पर एक प्रस्ताव पारित किया जाकर उक्त प्रस्ताव के द्वारा, जिला रोजगार एक्सचेंज द्वावा वनपालक के पद हेतु 09.01.1979 प्रायोजित उम्मीदवारों की सूची से में उत्तरदाता का नाम हटा दिया गया और उसके पक्ष में कोई नियुक्ति प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

4. इसके बाद उत्तरदाता ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। दिनांक 01.04.1981 एक आदेश द्वारा, उक्त आवेदन जांच करने का निर्देश दिया गया था। उक्त मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान, उसने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उसकी नियुक्ति के मामले पर विचार करने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया था। दिनांक 23.04.1982 को उक्त अंतरिम आदेश की अनुपालना में उत्तरदाता को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.1992 के आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए की, उसे क्षेत्राधिकार नहीं है, खारिज कर दिया गया था। जिला रोजगार अधिकारी, नेल्लोर ने उत्तरदाता को कदाचार का दोषी मानते हुए अपीलांट संख्या 1 को रिपोर्ट भेजी। जिसके बाद उसने आंध्रप्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया, जो ओ.ए. सं. 5409/1994 पर दर्ज हुआ, जिसमें जिला रोजगार अधिकारी के आदेश को जो कि पत्र दिनांकित 24.08.1993 में वर्णित किया गया था, उस आदेश को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी गई थी और अपीलांट संख्या 1 को यह निर्देश देने की मांग की गई थी, की वह उत्तरदाता को वनपाल के पद पर

उसकी चयन की तारीख से प्रभावी समस्त सेवा लाभ प्रदान करें। स्वीकृत रूप से उक्त ओ.ए.नं. 5409/1994 के लंबित रहने के दौरान उत्तरदाता को कारण बताओ नाेटिस जारी की कि क्यों नही उसका नाम वनपाल के पद से हटा देना चाहिए। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 05.05.1999 उक्त मूल प्रार्थना पत्र का खारिज कर दिया और उत्तरदाता को निर्देशित किया कि वह कारण बताओं नोटिस के संबध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। उक्त आदेश से पीड़ित और असंतुष्ट उत्तरदाता ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की और आक्षेपित निर्णय दिनांकित 25.04.2005 के द्वारा उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया;

> ''9. तदानुसार हम न्यायाधिकरण के आदेश एवं तृतीय उत्तरदाता जिला रोजगार अधिकारी, नेल्लोर की रिपोर्ट और परिणामस्वरूप बरखास्तगी बाबत् कारण बताओं नोटिस को रद्द करते है, याचिकाकर्त्ता उसी तरह से सेवा में बना रहेगा जैसे कि वह दिनांक 23.04.1982 से नियमित नियुक्ति में रहा हो और उसे समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जावेंगा और वह इस याचिका की दाखिल तारीख 19.07.1999 तक के काल्पनिक वेतन वृद्धि का भी लाभ दिया जाएगा और इसके पश्चात राजकोषीय धन लाभ उसे जारी किया जायेगा।''
>
> 10. कि वेतन निर्धारण से उत्पन्न बकाया राशि को इस आदेश की प्रति के प्राप्त होने से तीन माह के भीतर प्रदान किया जावेंगा।''

5. श्री एच. एस. गुरुराजा राव, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए, ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि

आम तौर पर एक मूल आवेदन कारण दर्शाए नोटिस के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं था।

6. श्री एल. नागेश्वर राव, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो कि उत्तरदाता की ओर से पेश हुए, ने यह प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता की नियुक्ति 1982 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई थी, इसलिए इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. संसद ने रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 बेरोजगार लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था। हालाँकि इस बात पर कुछ विवाद मौजूद है कि क्या किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सेवाओं की अधिसूचना अनिवार्य है अथवा नही, निर्विवाद रूप से इसमें रोजगार विनिमय को एक मांग की गई थी। रोजगार कार्यालय में उम्मीदवारों के पंजीकरण के संदर्भ में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा नाम प्रायोजित किए गए थे। यह कहा गया है कि उत्तरदाता को केवल वर्ष 1976 में पंजीकृत किया गया था। इसलिए, उसका नाम आम तौर पर प्रासंगिक समय पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नहीं किया जा सकता था। कथित तौर पर, जिला रोजगार कार्यालय, नेल्लोर में एक कनिष्ठ सहायक ने वर्ष 1979 में उत्तरदाता के नाम को प्रायोजित करने हेतु उत्तरदाता के साथ सांठगांठ की थी, हालांकि वह इसके लिए हकदार नहीं था। इसलिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने उत्तरदाता के प्रायोजन को वापस लेने की मांग की। उसके नाम के कानूनी रूप से प्रायोजित होने के अभाव में, वनपाल के रूप में नियुक्ति के लिए उत्तरदाता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता था। ऐसा दृष्टिकोण ही जिला रोजगार अधिकारी, नेल्लोर द्वारा लिया गया कम से कम प्रतीत होता है। उसने, जैसा कि पहले बताया गया है, इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी।

8. अपीलार्थी सं. 1 ने उक्त रिपोर्ट को प्रभाव में लाने का इरादा किया था। उक्त उद्देश्य के लिए, उसने एक कारण बताओं नोटिस जारी किया था।

9. जिला रोजगार अधिकारी नेल्लोर की कि कथित रिपोर्ट के रहते हुए, उत्तरदाता का नाम सूची से हटा दिया जाना चाहिए या नहीं, यह मामला नियत प्राधिकरण के समक्ष ही विचार के लिए लाया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां नोटिस पूरी तरह से बिना क्षेत्राधिकार जारी किया गया था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां उक्त नोटिस अन्यथा अवैध था।

10. उत्तरदाता ने सेवा में बने रहने का अपने अधिकार का बाबत् इसलिए मांग की है क्योंकि वह चयनित हुआ था। यह अब पूण्त स्थापित है कि एक चयनित उम्मीदवार को स्वतं ही नियुक्ति का अधिकार नही होता है।

11. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए, अपने समक्ष सम्बंधित एवं सही प्रश्न खड़ा नही किया। कारण बताओ नोटिस, के अनुसरण में उत्तरदाता को यह कारण बताने की आवश्यकता थी कि उसकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय की इस प्रभाव की टिप्पणी कि उत्तरदाता को दिनांक 23-04-1982 को न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया गया है। अतः किसी भी पुनरीक्षण वृद्धि के बिना 1978 में लागू वेतनमान को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पूरी तरह से अप्रासंगिक थी।

12. यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें बिना सोचे समझे आदेश पारित किया गया हो। यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने अपना मन बना लिया था और नोटिस केवल औपचारिकता के लिए जारी किया गया हो। (देखे मैसर्स सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 13 स्केल 297, संदर्भित है) न्यायाधिकरण ने

उत्तरदाता को अपना कारण दिखाने का निर्देश दिया। आम तौर पर, कोई इस स्तर पर रिट याचिका बनाए रखने योग्य नही होगी।

13. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड का प्रबंधन, मद्रास बनाम कर्मचारीगण एवं अन्य, ए.आई.आर. (1963) एस.सी. 569; में यह राय दी गई थी;

> "15. उच्च न्यायालय के पास निस्संदेह क्षेत्राधिकार है कि वह औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपने हाथों पर रोक लगाने और स्वयं प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहे। इस मार्ग को अपनाने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता विवादित नहीं हो सकती और न ही विवादित है। लेकिन क्या यह उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह ऐसा मार्ग अपनाये जब तक कि न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए ऐस करना आवश्यक नही हो ? आम तौर पर, तथ्य के प्रश्न, भले ही वो क्षेत्राधिकार से संबंधीत तथ्य हो जिनका निर्णय साक्ष्य की विवेचना पर निर्भर करता है- इस उददेश्य के लिए गठित विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा विचारित किये जाने चाहिए। जब विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा क्षेत्राधिकार के तथ्यों से संबधित प्राथमिक बिन्दूओं का विचारण कर दिया जाता है, तब पीड़ित पक्ष उस मामले को रिट याचिका के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठा सकता है और एक उपयुक्त रिट के लिए मांग कर सकता है। सामान्य रूप से कहे तो यह उचित नही होगा कि क्षेत्राधिकार के तथ्यो से निपटने वाले विशेष न्यायाधिकरण के प्रारंभिक अधिकारिता को दरकिनार किया जाए और ऐसे प्राथमिक बिन्दूओं को निर्णित करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जावे।

हम यह इंगित करते हैं कि इन टिप्पणियों को करने में, हम किसी भी निश्चित या लचीले नियम को निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं; प्रारंभिक तथ्यों का परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में किया जाना चाहिए या नही, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और पक्षों के बीच उठाए गए प्रारंभिक मुद्दे की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए। वर्तमान विवाद की परिस्थितियों को देखते हुए, हम सोचते हैं कि अपीलीय अदालत का यह विचार सही था कि प्रारंभिक बिन्दू न्यायाधिकरण द्वारा अधिक उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए। अपीलीय अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी पक्ष प्रारंभिक बिन्दू पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष से व्यथित महसूस करता है वह विधि के अनुसार उच्च न्यायालय में जा सकता हैं । इसलिए हम मिस्टर शास्त्री के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करने मे गलती की थी, जहां तक विचारण न्यायाधीश ने इस प्रश्न को निपटारा किया था कि क्या अपीलांट की कार्यवाही बंदी थी या तालाबंदी।"

14. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा एवं अन्य, ए;आई;आर [1987] एस.सी.943; 2 एस.सी.सी. 179, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;

"9. उच्च न्यायालय, कारण बताओ नोटिस को रद्द करने में न्यायोचित नहीं था। जब किसी सरकारी कर्मचारी को एक वैधानिक प्रावधान के तहत कारण बताने को बुलाने के लिए, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, आम तौर पर सरकारी कर्मचारी को अपना मामला प्राधिकरण के समक्ष कारण प्रस्तुत कर रखना चाहिए और अदालतों को ऐसे नोटिस

के संबंंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक की यह ना दिखा दिया जाये कि नोटिस विधि के प्रावधान के बगैर जारी की गई थी। कारण बताओ नोटिस को जारी किये जाने का उददेश्य सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होता है और जब एक बार कारण प्रदर्शित कर दिया जाता है तो सरकार तथ्यों एवं सरकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दलीलाे के प्रकाश में मामले पर विचार करती है और इन सबके पश्चात ही मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा इस स्तर से पहले हस्तक्षेप किया जाना असामयिक होगा, हमारी राय में उच्च न्यायालय को कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

15. विशेष निदेशक एवं अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम गौस एवं अन्य, [2004] 3 एस.सी.सी. 440 में इस न्यायालय द्वारा विधि इस प्रकार बताई गई ;

"5. इस न्यायालय द्वारा बहुतेरे मामलो में, उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस की वैधता संबंधित प्रश्नो को रिट याचिकाओं मे सुना जाकर प्रस्तावित जांचो को रोकने एवं दोनो पक्षो की उपस्थिति एवं भागीदारी में वास्तविक तथ्यों को ढूंढने के लिए अनुसंधान प्रक्रिया को रोकने संबंधी प्रथा की निन्दा की है। जब तक कि उच्च न्यायालय को संतुष्टि नही हो जाती है कि कारण बताओ नोटिस विधि की दृष्टि में प्राधिकारी के यहां तक की तथ्यो की जांच करने के क्षेत्राधिकारी के अभाव में पूर्णत: आवश्यक नही थी। रिट याचिकाऐं एक सामान्य मामले की तरह सुनवाई के लिए नहीं ली जानी चाहिए और रिट याचिकाकर्त्ता को तुरंत ही कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर देने के लिए तथा रिट याचिका में समस्त आधारो को लेने के लिए निर्देशित किया जाना

चाहिए। कारण बताओ नोटिस को विधिक आधारो पर जारी किया गया था, यह एक क्षेत्राधिकार का बिन्दू है, जो किनोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा उठाया जा सकता है और ऐसे बिन्दूओं को उस प्राधिकरण द्वारा निर्णित किया जा सकता हैं जिसने की प्रारंभ में नोटिस जारी की थी और ऐसा पीडित द्वारा न्यायालय पहुंचने से पहले किया जा सकता है। इसके अलावा, जब अदालत अंतरिम आदेश पारित करती है तो उसे सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि संवैधानिक प्राधिकारी जो कि विशेष एवं विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित किये गये है और जिनके पास मामलो को प्रारंभिक स्तर पर निर्णित करने के लिए प्राधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अंतिम उपचार रिट याचिका में दिया या नही दिया जा सकता है वहां रिट याचिकाकर्त्ता को अंतरिम संरक्षण के द्वारा भी प्रारंभिक सीमा पर न दिया जाये।''

16. मामले के इस पहलू पर हाल ही में इस न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं अन्य बनाम वी. कुनिसेट्टी सत्यनारायण, (2006) 12 स्केल 262 में विचार किया गया है।

17. मामले के दो अन्य पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाता को उसके द्वारा किए गए चयन के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति का कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था। वह उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिरम आदेश की अनुपालना में नियुक्त किया गया था। आम तौर पर उच्च न्यायालय को ऐसा नही करना चाहिए।

18. मेट्रो मरीन एवं अन्य बनाम बोनस वॉच कं. (पी) लिमिटेड एवं अन्य (2004) 7 एससीसी 478 मे इस न्यायालणय अभिनिर्धारित किया;

''9 दोनो पक्षो के विद्वान अधिक्ताओं के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात हमे संतुष्टि हो चुकी है की अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश ना ही तथ्य और ना ही विधि पर खरा रह सकता है। दौराब कवाकजी वार्डन बनाम कुमी सौरब वार्डन के मामले में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है, यह निर्धारित किया गया था कि अंतरिम आज्ञापक व्यादेश केवल उन्हीं आपराधिक मामलो में ही जारी किया जा सकता है जो उक्त निर्णय में वर्णित अपराधो में आते है। हमारी राय में उत्तरदाता का मामला उन अपवादो में से किसी में भी नही आता है और यहां तक की तथ्यों पर भी यह मामला ऐसा नही है, जो कि उत्तरदाता को कब्जा दिलाने का निर्देश हेतु अंतरिम आज्ञापक व्यादेश जारी किये जाने की मांग करता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जैसा की प्रेक्षित किया गया है, यह बिन्दू कि वादी कब्जे का हकदार है अभी विचारण न्यायालय के समक्ष निर्णित होना है और कब्जा संभलाने का निर्देश दिये जाने बाबत अंतरिम आदेश का दिया जाना यही अर्थ रखेंगा कि वाद को विचारण से पहले ही डिक्री कर दिया गया है । जबिक यह स्वीकृत है कि अपीलांट का कब्जा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने ऐजेन्ट के माध्यम से है, तब यह तथ्य कि अपीलांट उस सम्पति को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नही कर रहा है अथवा किसी लाभदायी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नही कर रहा है या अपीलांट को मामला हारने के प्रस्तुती में भारी क्षतिपुर्ति देनी पडेगी अथवा यह तथ्य कि दोनो पक्षो के मध्य विवाद एक महंगा विवाद है यह सभी तथ्य दावे के लंबित रहने के दौरान कब्जे के संबंध में

यथास्थिति को परिवर्तित करने के असंगत है देखे श्री कृष्णा एवं अन्य बनाम अनिरूद्ध सिंह एवं अन्य (2005) 12 एसीसी 389''

19. फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद अंतरिम आदेश भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उत्तरदाता को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने के पश्चात सेवा में बने रहने का कानूनी अधिकार नही है।

20. इसके अलावा यह भी संदेहपूर्ण है कि क्या जिला रोजगार अधिकारी की रिपोर्ट पर मूल आवेदन द्वारा दाखिल कर पश्न चिन्ह लगाया जा सकता है।

21. उपरोक्त विर्णित कारणाो से आक्षेपित आदेश बनाये रखा नही जा सकता है जो तदानुसार अपास्त किया जाता है। उत्तरदाता जिस तारीख से दो सप्ताह के भीतर कारण दाखिल करेंगा जिस पर अपीलार्थीगण विधि के अनुसार उचित निर्णय लेंगे। अपील स्वीकार की जाती है। हालांकि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चे बाबत कोई आदेश नही किया जायेंगा।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विद्यानन्द शुक्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।